कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश अप्रैल 2024

क्रमांक 23 / सां0लि0–36 / 2005 हरदा, दिनांक 05 / 04 / 2024

सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य–विभाजन आदेश क्रमांक–44 दिनांक 22.07.2023 एवं आदेश क्रमांक 13 दिनांक 15.02.2024 के अनुक्रम में निम्नानुसार नोट क्रमांक 16 व 17 स्थापित किये जाते हैं :–

(16) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, टिमरनी (वर्तमान में रिक्त) के न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्यों का प्रभार, अन्य व्यवस्था होने तक, सुश्री नुपुर तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, टिमरनी के द्वारा पदभार ग्रहण करने के उपरांत संपादित किया जावेगा।

(17) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश टिमरनी (वर्तमान में रिक्त) के न्यायालय में पदस्थ प्रस्तुतकार द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक उक्त न्यायालय में लंबित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड के क्षेत्राधिकार के समस्त प्रकरणों में औपचारिक कार्यवाही की जावेगी। अन्य सभी अत्यावश्यक कार्यों का संपादन कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 44 दिनांक 22.07.2023 की अनुसूची–ब की सारणी के कॉलम क्रमांक 3 अथवा 4 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों के द्वारा किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृष्ठांकन क्रमांक 368 / सां0लि0 / 36 हरदा, दिनांक 05 / 04 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा
2. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्या0 के अति0 न्याया0 टिमरनी (वर्तमान में रिक्त)
3. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, टिमरनी
4. अधिवक्ता संघ, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा